

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक- नर्सिंग/नर्स-2/एएचडब्लू 163/2023

दिनांक-

श्री विभूति भूषण शर्मा  
अतिरिक्त महाधिवक्ता,  
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।

विषय- अवमानना संख्या 873/2020 इन रिट संख्या एस.बी.सिविल रिट संख्या 21371/2017  
श्री सूर्यनारायण शर्मा से.नि. नर्सिंग ऑफीसर(ए.एच.डब्लू) बनाम सरकार व अन्य में मा.  
उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय 11.12.2019 की पालना के संबंध में ।

संदर्भ- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम का पत्र क्रमांक 896 दिनांक 01.11.23  
के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि अवमानना संख्या 873/2020  
इन एस.बी.सिविल रिट 21371/2017 श्री सूर्यनारायण शर्मा, से.नि नर्सिंग ऑफीसर(एएचडब्लू) आपके अधीन  
ब्लाक सिरसी, जयपुर में आपके अधीन कार्यरत रहे है, के द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 7500-12000  
चयनित वेतमान स्वीकृत करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के पारित निर्णय दिनांक  
11.12.2019 की पालना में याचिकाकर्ता की पत्नि श्रीमती शांति देवी के खाता संख्या 61330361706 में प्रकरण  
से संबंधित बकाया/एरियर की राशि उनके खाते में जमा करा दी गई ।

प्रकरण में अब कोई पालना शेष नहीं है । अतः आपसे अनुरोध है कि तदानुसार मा. न्यायालय में  
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत प्रकरण को खारिज कराने की कार्यवाही करे ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

-Sd/-

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक- 2/11/23  
दिनांक-

क्रमांक- नर्सिंग/नर्स-2/एएचडब्लू 163/2023/ 769

क्रमांक- नर्सिंग/नर्स-2/एएचडब्लू 163/2023/

प्रतिलिपि- निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) विभाग राज. जयपुर ।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार ।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर ।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
7. डॉ. मनोज शर्मा, स्थाई केस प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय ।
8. संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर